दिनांकः 13.02.2026

-प्रेस नोट-

ऑपरेशन सवेरा

"नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर"

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाली 01 शातिर नशा तस्करअभियुक्ता गिरफ्तार/, कब्जे से 140 ग्राम अवैध स्मैक(अनुमानित कीमत करीब लाख 28 रुपये) व 14500/- रुपये व एक मोटर साइकिल बरामद ,

*अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों / नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी / बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में **"ऑपरेशन सवेरा"** – "नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर" अभियान चलाया जा रहा है ।*

*इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान **"ऑपरेशन सवेरा"** के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण मे प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह के कुशल नेतृत्व में दिनांक 12.02.2026 को थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान **01 नशा तस्कर अभियुक्ता मेसर पत्नी शहजाद निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को शेरपुर पैलो रोड निकट बिजलीघर के पास से गिरफ्तार किया गय । अभियुक्ता मेसर के कब्जे से 140 ग्राम स्मैक व 14500/- रुपये व एक मोटर साइकिल यजदी रंग हरा बिना नम्बर प्लेट बरामद हुई। तथा मौके से एक अभियुक्त फरार हो गया है । गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना मिर्जापुर पर मु0अ0सं0 40/2026 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। अभियुक्ता द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्ता के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।*

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम/ पताः-

1. *मेसर पत्नी शहजाद निवासी ग्राम मिर्जापुर पोल थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*

बरामदगी का विवरण-

- *140 ग्राम अवैध स्मैक,*
- *14500/- रुपये*
- *01 मोटर साइकिल यजदी रंग हरा बिना नम्बर*

गिरफ्तार अभियुक्ता आपराधिक इतिहास-

1. *मु0अ0स0 132/24 धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
2. *मु0अ0सं0 40/2026 धारा 8/21/29/60 एनडीपीएस एक्ट थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*

<u>गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-</u>

1. *प्रभारी निरीक्षक श्री सूबे सिंह थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।*
2. *उ0नि0 श्री अवशेष भाटी थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर ।*
3. *का0 828 मोहित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
4. *का0 2017 चिराग थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*
5. *म0का0 882 निकेता थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर*

-प्रेस नोट-

दिनांक: 13.02.2026

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गंगोह पुलिस द्वारा बाद मुठभेड़ 02 गौकश घायलावस्था मे गिरफ्तार, कब्जे से 02 देशी तमंचा .315 बोर व 02 खोखा/02 जिंदा कारतूस .315 बोर, गोकशी करने के उपकरण व 01 जिन्दा गौवंश बरामद-

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, चोरी, लूट, डकैती, नकबजनी, छिनैती, गौकशी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में लिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है। इसी क्रम में दिनांक 12/13.02.2026 की रात्रि को प्रभारी निरीक्षक गंगोह मय फोर्स बिडौली रोड से ग्राम कुण्डा कलां से करीब 01 किमी पहले रास्ते पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन की तलाश हेतु गस्त की जा रही थी, तभी कुछ व्यक्ति सडक से खेतो की तरफ जाते हुए दिखाई दिये, संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस टीम द्वारा टॉर्च की रोशनी दिखाकर उन्हें रुकने का इशारा किया गया, वह नहीं रुके और पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर खेतो की तरफ भागने लगे। पुलिस द्वारा बदमाशों का पीछा किया गया तथा पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में 02 बदमाश को पैर में गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गये । फरार अभियुक्त की तलाश हेतु लगातार कांबिंग की जा रही है। घायल बदमाश की पहचान 1-**अहसान उर्फ समीर पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम कुण्डा कलां थाना गंगोह सहारनपुर** एवं दूसरे गिरफ्तार बदमाश की पहचान 2-**महमूद पुत्र रशीद निवासी ग्राम कुण्डा कलां थाना गंगोह सहारनपुर** के रूप में हुई। घायल बदमाश को ईलाज हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घायल बदमाश महमूद के विरुद्ध थाना गंगोह पर पूर्व में भी गोकशी के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध थाना गंगोह पर मु0अ0स0 93/26 धारा 109(1),3(5) बीएनएस व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम व 3/5ए/8 सीएस एक्ट पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता:-

1. अहसान उर्फ समीर पुत्र मुस्तफा निवासी ग्राम कुण्डा कलां थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. महमूद पुत्र रशीद निवासी ग्राम कुण्डा कलां थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 02 तमंचा .315 बोर
- 02 खोखा/ 02 जिंदा कारतूस .315 बोर
- गौकशी के उपकरण
- 01 जिन्दा गौवंश

अभियुक्त महमूद का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0 21/20 धारा 3/5ए/8 गौवध अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. मु0अ0सं0 65/04 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

3. मु0अ0स0 312/08 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री अतुल कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
2. हे0का0 294 उदित मलिक थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
3. हे0का0 639 मुकेश कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
4. हे0का0 12 अंकुश गोदरा थाना गंगोह जनपद सहारनपुर
5. का0 1131 सूरज कुमार थाना गंगोह जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

“नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर”

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला 01 शातिर नशा तस्कर/अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 150 ग्राम अवैध चरस (अनुमानित कीमत करीब 25,000/- रूपये)

अवगत कराना है कि श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, सहारनपुर परिक्षेत्र, सहारनपुर द्वारा मादक पदार्थों/नशे के अवैध कारोबार, प्रतिबंन्धित दवाओं की तस्करी/बिक्री पर प्रभावी रोकथाम के लिए ठोस एवं समन्वित कार्यवाही हेतु परिक्षेत्र सहारनपुर के तीनो जनपदो में “ऑपरेशन सवेरा” – “नशे के अंधकार से जीवन के उजाले की ओर” अभियान चलाया जा रहा है।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन मे नशीलें पदार्थों की तस्करी की रोकथाम व नशे के कारोबार मे शामिल अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान “आपरेशन सवेरा”के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक 13.02.2026 को चैकिंग/गस्त के दौरान 01 शातिर नशा तस्कर अभियुक्त अकरम पुत्र असलम निवासी ग्राम दतौली राघड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर को अभिनव स्कूल के पीछे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से कुल 150 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 52/26 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त अकरम उपरोक्त द्वारा मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के संबंध में FORWARD AND BACKWARD लिंको की जाँच की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किये जा रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

अकरम पुत्र असलम निवासी ग्राम दतौली राघड थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

बरामदगी का विवरण-

- 150 ग्राम अवैध चरस

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सुबोध कुमार शर्मा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
2. है0का0 241 कपिल तोमर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
3. का0 334 संजीव कुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर
4. का0 1253 अनिरुद्ध खोखर थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांक: 13.02.2026

बेहट पुलिस द्वारा बाद मुठभेड़ में 01 घायल सहित 02 शातिर गौकश गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा, 01 खोखा/02 जिंदा कारतूस .315 बोर, गोकशी के उपकरण, 01 बिना नम्बर मोटरसाईकिल बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में जनपद में अपराध नियंत्रण, हत्या, गोकशी, नकबजनी, एनडीपीएस, चोरी आदि आपराधिक घटनाओं की रोकथाम व इन घटनाओं में संलिप्त अपराधियों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा लगातार सघन गस्त/चैकिंग की जा रही है।

इसी क्रम में आज दिनांक 12.02.2026 को थाना बेहट पुलिस टीम द्वारा जनता रोड ग्राम पिठौरी जाने वाले रास्ते पर झिंझौली तिराहे पर बैरियर लगाकर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग कर रहे थे, तभी ग्राम पिठौरी की तरफ से एक मोटरसाईकिल पर दो संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिये। जिनकी मोटरसाईकिल पर पीछे एक प्लास्टिक का कट्टा बंधा हुआ था। पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति को रूकने के लिए इशारा किया गया संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस को चैकिग करते देख अपनी मोटरसाईकिल को तेजी से कच्चे रास्ते की तरफ भागने लगे तथा मोटरसाईकिल सवार संदिग्ध व्यक्तियों नें पुलिस टीम को अपने नजदीक आता देख पीछे मोटरसाईकिल कच्चे रास्ते पर फिसलकर गिर गई संदिग्ध व्यक्तियो नें पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायिरंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगने से घायलवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा अन्य दूसरे बदमाश को कॉम्बिंग कर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार बदमाशों की पहचान घायल **शौकीन पुत्र फारूख निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर** तथा **सादिक पुत्र जानमौहम्मद निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर** के रूप में हुयी। घायल बदमाश को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गिरफ्तार अभियुक्तगण के कब्जे से 01 तमंचा, 02 जिन्दा/01 खोखा कारतूस .315 बोर, गोकशी के उपकरण व 01 मोटर साईकिल बिना नम्बर बरामद हुई। गिरफ्तार/घायल गौकश अभियुक्तगण के विरुद्ध गौकशी के मुकदमें पंजीकृत हैं। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर अभियुक्त के विरुद्ध **थाना बेहट पर मु0अ0स0 79/26 धारा- 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत** किया गया है। अभियुक्तगण के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार/घायल अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. शौकीन पुत्र फारूख निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर (घायल)
2. सादिक पुत्र जान मौहम्मद उर्फ जानी निवासी ग्राम दबकौरा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

बरामदगी का विवरण –

- 01 तमंचा .315 बोर
- 01खोखा/02 जिंदा कारतूस .315 बोर
- 01 मोटर साइकिल बिना नम्बर
- गोकशी के उपकरण

अभियुक्त शौकीन का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0- 79/26 धारा- 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बेहट, सहारनपुर

मु0अ0सं0- 217/19 धारा- 3/5/8 गौवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना बेहट, सहारनपुर

अभियुक्त सादिक का आपराधिक इतिहास

मु0अ0सं0- 79/26 धारा- 109(1)/317(5) बीएनएस व 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना बेहट सहारनपुर
मु0अ0सं0- 499/19 धारा- 3/5ए/8 गौवध निवारण अधिनियम थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1- प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2- उ0नि श्री रविन्द्र कसाना थाना बेहट जनपद सहारनपुर
3- उ0नि0 श्री धीरज सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4- है0का0 378 तरूण कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5- है0का0 357 अनुज कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6- है0का0 361 विकास कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
7- का0 2381 संजू सैम थाना बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांक: 13.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तरप्रदेश

थाना कोतवाली देहात, सहारनपुर पुलिस द्वारा वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.02.2026 को चैकिग व दविश के दौरान थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त पवन पुत्र अतर सिहं निवासी ग्राम नाजिरपुरा थाना कोतवाली देहात जपनद सहारनपुर सम्बंधित परिवाद सं0 1062/21 धारा 376/504/506 भादवि व 3(2)5 एसएसटी एक्ट चालानी थाना कोतवाली देहात को अभियुक्त के घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त के नाम व पता:-

पवन पुत्र अतर सिहं निवासी ग्राम नाजिरपुरा थाना कोतवाली देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री राजकुमार थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर
2. उ0नि0 श्री राममेहर सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर
3. का0 2326 हिम्मत सिह थाना कोतवाली देहात जनपद सरहारनपुर।

दिनांकः 13.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबंद, पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर जनप्रतिनिधि की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक, अशोभनीय एंव अपमानजनक शब्दो का प्रयोग करने वाले अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 12.02.2026 को वादी मुकदमा श्री नरेन्द्र पुत्र यशपाल सिंह नि0 ग्राम असदपुर करंजाली थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की लिखित तहरीर बाबत विपक्षी नितिन उर्फ बोबी पुत्र विनोद निवासी ग्राम भायला खुर्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर द्वारा समाज में वैमनस्य फैलाने तथा सोशल मीडिया एकाउंट इन्सटाग्राम आई.डी पर स्टोरी लगाकर नगीना सांसद चन्द्रशेखर आजाद जी की छवि धूमिल करने के उद्देश्य से आपत्तिजनक, अशोभनीय एंव अपमानजनक शब्दो का प्रयोग करते हुये अपमानित करना के सम्बन्ध में थाना देवबंद पर मु0अ0सं0- 102/2026 धारा 196(1)क/299 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर घटना में वांछित की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा- निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबंद के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक अमरपाल शर्मा थाना देवबंद के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 13.02.2026 अभियुक्त **नितिन उर्फ बोबी पुत्र विनोद निवासी ग्राम भायला खुर्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर** ग्राम भायला खुर्द से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. नितिन उर्फ बोबी पुत्र विनोद निवासी ग्राम भायला खुर्द थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 0890/2020 धारा 201/302/377/511 भादवि व 18, 5j(i) पोस्को एक्ट थाना देवबन्द
2. मु0अ0सं0- 102/2026 धारा 196(1)क/299 बीएनएस थाना देवबन्द

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 विनोद कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. का0 2309 प्रेमचन्द थाना देवबन्द सहारनपुर
3. पीआरडी राजेन्द्र सिंह थाना देवबन्द सहारनपुर

13.02.2026

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर मो0सा0 चोर गिरफ्तार, व 01 बाल अपचारी लिया गया अभिरक्षा मे, कब्जे से चोरी की गयी मोटर साईकिल बुलेट बरामद।

अवगत कराना है कि दिनांक 05.02.26 को वादी श्री विशाल कुमार पुत्र अजय सिंह निवासी अम्बैहटा चांद बडगांव थाना बडगांव जनपद सहारनपुर द्वारा एक प्रार्थना पत्र बाबत अज्ञात चोर द्वारा राणा चिकन सेंटर सर्किट हाऊस रोड से उसकी मो0सं0 नं0 यू0पी0 11 डी.डी. 6579 चोरी करने के सम्बन्ध थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 58/2026 धारा- 303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर घटना का अनावरण व अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश दिये गये। निर्देशों के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.02.2026 को मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त **1.हुसैन पुत्र दिलशाद निवासी नवादा रोड काजीपुरा थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर सर्किट हाउस की दीवार के पास से गिरफ्तार किया गया व एक बाल अपचारी** को से पुलिस अभिरक्षा मे लिया गया। गया तथा अभियुक्त के कब्जे से चोरी की गयी मोटर साईकिल बुलेट बरामद हुई। मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित बरामदगी के आधार पर धारा 317(2) बीएनएस की वृद्धि की गयी। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. हुसैन पुत्र दिलशाद निवासी नवादा रोड काजीपुरा थाना सदर बाजार जिला सहारनपुर
2. एक बाल अपचारी

बरामदगी का विवरणः-

➢ मो0सा0 रजि0 नं0 यू0पी0 11 डी.डी. 6579

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री दीपक सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
3. है0का0 1046 सतेन्द्र सिंह थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।
4. 4.का0 272 संदीप कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 13.02.26

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कुतुबशेर, सहारनपुर पुलिस द्वारा पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभि0 को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 13.02.2026 को वादिया के साथ छेड़छाड आदि की तहरीर के आधार पर थाना कुतुबशेर पर मु0अ0सं0 74/26 धारा 74 भारतीय न्याय संहिता व 9m/10 पोस्को एक्ट बनाम उमर पुत्र इकबाल निवासी मौ0 हाकमशाह कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेकर तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश निर्देश निर्गत किये गये। आदेश-निर्देशो के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी नगर प्रथम के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री एच0एन0 सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना कुतुबशेर पुलिस द्वारा आज दिनांक 13.02.26 को मुखबिर की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त उमर पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला हाकमशाह कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर** को **दबनी कब्रिस्तान के पास** से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1. उमर पुत्र इकबाल निवासी मौ0 हाकमशाह कालौनी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का नामः-

1- म0उ0नि0 सविता चौधरी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
2- है0का0 388 कपिल कुमार थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर
3- है0का0 974 अमित भाटी थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर